



2026:AHC:62672

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र धारा 482 बीएनएसएस सं. - 1412 वर्ष
2026

प्रिंस कुमार

...आवेदक

राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य

...प्रतिपक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: अशफाक अहमद अंसारी

प्रतिपक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से अपराध संख्या 258 वर्ष 2025, धारा 80(2), 85 भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर के अंतर्गत, उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आवेदक मृतका का देवर है। आवेदक के भाई एवं मृतका का विवाह दिनांक 11.07.2024 को हुआ था तथा आवेदक द्वारा कभी भी दहेज की मांग नहीं की गई। उसने अपनी भाभी के साथ कभी क्रूरता का व्यवहार नहीं किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट भूमिका निर्दिष्ट नहीं की गई है। मृत्यु का कारण पूर्व-मृत्यु जलन के परिणामस्वरूप आघात पाया गया है तथा प्रतीत होता है कि मृतका ने आत्महत्या की है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर के एक पुलिस अधिकारी द्वारा मोबाइल फोन से एक वीडियो बनाया गया था, जिससे स्पष्ट होता है कि मृतका ने परिहासवश स्वयं को आग लगा ली थी। आगे यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक के विरुद्ध दो आपराधिक वादों का इतिहास है, जिसका समुचित स्पष्टीकरण अनुपूरक शपथपत्र में दिया गया है। आवेदक पूर्व में दोषसिद्ध नहीं है।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया तथा यह तर्क दिया कि आवेदक के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं। एक स्वतंत्र साक्षी ने भी आवेदक के विरुद्ध दहेज की मांग के आरोप की पुष्टि की है। तथापि, आवेदक द्वारा आपराधिक इतिहास के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण का उन्होंने खंडन नहीं किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्तगण, अर्थात् मृतका का पति, ससुर एवं सास, कारागार में निरुद्ध हैं। अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि घटना के लगभग पाँच दिन पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदक ही मृतका को अस्पताल ले गया था। पंचनामा के समय पति एवं सास उपस्थित थे।
7. समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में, प्रथम दृष्टया अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनता है।
8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया जाता है।
9. आवेदक प्रिंस कुमार की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के निजी बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ—

(i) आवेदक अन्वेषण हेतु जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित है, प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष सत्य कथन करने से विमुख हो;

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर कोई दबाव या भय उत्पन्न नहीं करेगा।

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त टिप्पणियाँ केवल वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र के निर्णय हेतु की गई हैं तथा वाद के गुण-दोष पर अभिमत के रूप में नहीं मानी जाएंगी।

दिनांक : 25 मार्च, 2026

ए. पांडे

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।